

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./कोरोनावाइरस/2020/ 186

दिनांक: 12/3/2020

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:- कोरोना वाइरस (Covid 19) से सम्बन्धित प्रशिक्षण में आंशिक संशोधन के क्रम में।

संदर्भ:- निदेशालय का पूर्व पत्र क्रमांक: चि.प्र./कोरोनावाइरस/2020/184 दिनांक: 11.03.2020 व मिशन निदेशक, एनएचएम व विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक : एफ 21(81)/एनएचएम/आशा/वी.सी./2018-19/93 दिनांक: 11.03.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा जिलों में कोरोना वाइरस (Covid 19) के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे। संदर्भित पत्र क्रमांक: चि.प्र./कोरोनावाइरस/2020/184 दिनांक: 11.03.2020 के बिन्दु संख्या 4 के स्थान पर संलग्न पत्र क्रमांक: एफ 21(81)/एनएचएम/आशा/वी.सी./2018-19/93 दिनांक: 11.03.2020 के अनुसार नर्सिंग, आशा, एएनएम व अन्य शेष स्टाफ निर्धारित वीसी के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाकर पालना रिपोर्ट सम्बन्धित को राज्य स्तर पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./कोरोनावाइरस/2020/ 186

दिनांक: 12/3/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम व विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0)/निदेशक (आरसीएच) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (चि0 प्र0)/ग्रामीण स्वास्थ्य मुख्यालय।
5. नोडल अधिकारी आईडीएसपी/आशा मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक, जोन-समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला आशा समन्वयक को पालनार्थ।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र सम्बन्धित को मेल कराना सुनिश्चित करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर



राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम,
जयपुर, राजस्थान फोन न0 0141-2220963, ई-मेल: co.asha_nrhм@yahoo.com

क्रमांक : एफ 21(81)/एनएचएम/आशा/वी.सी./2018-19/ 93

दिनांक:- 11.3.2020

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय- जिला स्तर से विडियों कान्फेन्स के माध्यम से समस्त कार्यरत आशा-सहयोगिनियों, एएनएम एवं जिला, ब्लॉक तथा सेक्टर स्तर के समस्त सुपरवाइजरी स्टॉफ को कोरोना वाइरस (COVID 19)के बचाव व रोकथाम का प्रशिक्षण दिये जाने के क्रम में।
संदर्भ:- पत्र क्रमांक 79 दिनांक 04.3.2020व पत्र क्रमांक 91 दिनांक 11.03.2020 के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में आपको जिला स्तर से राज्य में कार्यरत आशा-सहयोगिनियों, समस्त एएनएम एवं जिला, ब्लॉक तथा सेक्टर स्तर के समस्त सुपरवाइजरी स्टॉफ को एनसीडी व वीएचएसएनसी का प्रशिक्षण देने हेतु निर्देशित किया गया था। श्रीमान अति. मुख्य सचिव चि.स्वा.एवं प.क. के निर्देशानुसार उक्त प्रशिक्षण में सर्वप्रथम कोरोना वाइरस COVID 19 के बचाव व रोकथाम, कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाना है।

अतः उक्त क्रम में संलग्न कार्यक्रम अनुसार जिला स्तर पर सूचना एवं प्राद्योगिकी विभाग में कार्यरत संबंधित अधिकारी व बीसीएमओं से समन्वय स्थापित कर दिनांक 14 मार्च 2020 से 16 मार्च 2020 तक विडियों कान्फेन्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाकर वी.सी. में उपस्थित आशा एवं एएनएम की सूचना राज्य स्तर पर भिजवाना सुनिश्चित करे।

उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वी.सी. का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।

मिशन निदेशक, एनएचएम व
विशिष्ट शासन सचिव चि.स्वा.एवं प.क.

संलग्न - उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकि0 स्वा0 एवं प0क0 विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्राद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. निजी सहायक, निदेशक-आरसीएच/जन स्वास्थ्य।
5. अतिरिक्त निदेशक-ग्रामीण स्वास्थ्य।
6. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम।
7. राज्य नोडल अधिकारी-आशा।
8. सर्वर रूम एनएचएम ई-मेल हेतु।

निदेशक-आरसीएच



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम,
जयपुर, राजस्थान फोन नं 0141-2220963, ई-मेल: co.asha_nrhm@yahoo.com

जिला स्तर से विडियों कान्फ्रेन्स के माध्यम से समस्त कार्यरत आशा-सहयोगिनियों, एएनएम एवं जिला, ब्लॉक तथा सेक्टर स्तर के समस्त सुपरवाइजरी स्टाफ को कोरोना वाइरस (COVID 19)के बचाव व रोकथाम के प्रशिक्षण कार्यक्रम

माह मार्च 2020			
क.सं.	दिनांक	समय	बैच संख्या
1	14.03.2020	11:00 से 04:00 बजे	1 व 2
2	15.03.2020	11:00 से 04:00 बजे	3 व 4
3	16.03.2020	11:00 से 04:00 बजे	5 व 6

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : चि.प्र/कोरोनावाइरस/2020/ 184

दिनांक: 11-03-2020

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।


विषय:- कोरोना वाइरस से संबंधित (Covid 19) का प्रशिक्षण समस्त स्टॉफ को देने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि निर्देशानुसार दिनांक 09.03.2020 को कोरोना वाइरस से संबंधित TOT राज्य के समस्त जिलों से आये प्रतिभागियों को दे दी गयी है। चूंकि यह ट्रेनिंग राज्य के सभी चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टॉफ को चरणबद्ध तरीके से यथा शीघ्र दी जानी है। अतः समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी एक सप्ताह में सबको इस बाबत निम्नानुसार प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षण देने वाले	प्रशिक्षण दिनांक	प्रशिक्षण स्थान	प्रशिक्षण में अन्य सहभागी
1	A. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी B. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी C. समस्त सीएचसी प्रभारी D. समस्त सैक्टर प्रभारी	A. राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी	12 अथवा 13 मार्च	जिला मुख्यालय	1. मेडिकल कॉलेज के RRT सदस्य आदि 2. WHO के प्रतिनिधि
2	A. IMA/IAP के प्रतिनिधि B. प्राइवेट चिकित्सालों के प्रभारी	A. राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी B. जिला स्तरीय अधिकारी	13 मार्च	जिला मुख्यालय	WHO के प्रतिनिधि
3	A. सैक्टर के अन्य चिकित्सा अधिकारी B. सीएचसी के अन्य चिकित्सा अधिकारी C. BPM D. ब्लॉक के नर्सिंग स्टाफ	A. जिला स्तरीय अधिकारी B. BCMO C. TOT प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी D. CHC प्रभारी	13 व 14 मार्च	प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय	WHO के प्रतिनिधि
4	A. सैक्टर के शेष नर्सिंग स्टाफ B. ANM C. ASHAs D. अन्य शेष स्टाफ	1. BCMO 2. सैक्टर MOI/C	16 व 17 मार्च	प्रत्येक सैक्टर मुख्यालय	WHO के प्रतिनिधि

प्रशिक्षण सम्बन्धी ध्यान रखने योग्य बिन्दु-

1. प्रशिक्षण का बैच प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
2. प्रशिक्षण के बैच इस प्रकार से बनाये जाये कि चिकित्सालयों की व्यवस्था में व्यवधान ना आयें।
3. ट्रेनिंग प्रभावी ढंग से प्रशिक्षणार्थियों के स्तर के अनुरूप दी जावें।
4. प्रशिक्षण का कार्यक्रम तथा दैनिक प्रगति निदेशालय के चिकित्सा प्रशासन अनुभाग की ईमेल आईडी adhadmhs@gmail.com पर प्रतिदिन भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. उपरोक्त निर्देशों की पालना निश्चित समयावधि में करना सुनिश्चित करें।



निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : चि.प्र/कोरोनावाइरस /2020/ 184

दिनांक: 11-03-2020

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
3. अति0 निदेशक चिकित्सा प्रशासन मुख्यालय।
4. अति0 निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य मुख्यालय।
5. नोडल अधिकारी आई.डी.एस.पी. मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक, जोन-समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को सम्बन्धित को मेल कराना सुनिश्चित करावें।
8. रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर